प्रेस विज्ञप्ति

शासनादेश संख्या–1157/15–8–2016–3023/2012 दिनांक 12.09.2016 के द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत वित्त विहीन विद्यालयों के अंशकालिक शिक्षकों को विशेष प्रोत्साहन मानदेय के भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं, जिसके अनुपालन में इस कार्यालय के द्वारा पूर्व में जनपद के समस्त वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालयों के प्रबन्धक एवं प्रधानाचार्यों को शासन द्वारा निर्धारित शपथ का प्रारूप संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किया जा चुका है कि उक्त प्रारूप में विद्यालय के प्रबन्धक एवं प्रधानाचार्य, शासनादेश में निर्धारित मानकानुसार अपने विद्यालय में कार्यरत अंशकालिक शिक्षकों का विवरण यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध करायें, जिसके उपरान्त भी प्रकरण प्राप्त न होने पर विज्ञप्ति दिनांक 13.10.2016 प्रकाशित कराकर सम्बन्धित संस्थाधिकारियों को नोटिस प्रेषित की गयी है तथा सभी प्रधानाचार्यों की बैठक आहूत कर दिनांक 27.10.2016 को उनकी समस्याओं का निराकरण करते हुये उन्हे तत्काल प्रकरण उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं, जिससे उनके खाते में जांचोपरान्त नियमानुसार विशेष प्रोत्साहन मानदेय का भुगतान कराया जा सके, किन्तु अत्यन्त खेद का विषय है कि अभी तक सम्बन्धित 45 वित्त विहीन विद्यालयों द्वारा ही उक्त शपथ पत्र पर निर्धारित सूचना इस कार्यालय को प्राप्त करायी गयी है तथा शेष की सूचना अप्राप्त है, जिससे शासन के निर्देशानुसार अंशकालिक शिक्षकों को विशेष प्रोत्साहन मानदेय का भुगतान नही हो पा रहा है।

अतः जनपद के समस्त वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालयों के प्रबन्धक एवं प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि तीन दिन के अन्दर शासनादेश दिनांक 12.09.2016 के मानकानुसार सूचना निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र के माध्यम से इस कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अन्यथा की स्थिति में विद्यालय प्रबन्ध तंत्र को उक्त हेतु उत्तरदायी ठहराते हुये उनके विरूद्ध विधि संगत कार्यवाही किये जाने हेतु बाध्य होना पड़ेगा, जिसके लिये वह स्वयं उत्तरदायी होंगे।

9/11/16

(कोमल यादव)
जिला विद्यालय निरीक्षक
कानपुर नगर।

कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर नगर

पृ0स0:वि0वि0मानदेय/ 8305-09 /2016–17 दिनाँक– 9/11/2016

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01. शिक्षा निदेशक (मा0), उ0प्र0 शिविर कार्यालय 18 पार्करोड, लखनऊ।
02. संयुक्त शिक्षा निदेशक, कानपुर मण्डल कानपुर।
03. प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, समस्त सम्बन्धित वित्त विहीन उ0मा0वि0/इण्टर कालेज, कानपुर नगर।
04. मंत्री, वित्त विहीन माध्यमिक शिक्षक संघ/उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षक संघ, कानपुर।
05. समस्त सम्मानित दैनिक समाचार पत्रों के सम्पादक महोदय को इस अनुरोध के साथ कि उक्त विज्ञप्ति अपने दैनिक समाचार में जनहित में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।

जिला विद्यालय निरीक्षक
कानपुर नगर।